संख्याः 2850/33-3-2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन
4. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर 2015

विषयः मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सेनेटरी नैपकिन के उत्पादन एवं बिक्री की नियमित समीक्षा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 249/33-3-2014-22/2015 दिनांक 23 फरवरी 2015 द्वारा पंचायत उद्योग उत्पादित महिलाओं को सस्ते मूल्य पर सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जाने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है।

अवगत कराना है कि सेनेटरी नेपकिन कार्यक्रम राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमो मे शामिल होने के कारण इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री श्री रिग्ज्यान सेम्फिल, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक सोमवार 10:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में नियमित समीक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में आपके विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना है, जिनके द्वारा उक्त बैठक में विभागीय प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाना है। अभी तक आपके विभाग से कोई भी नोडल अधिकारी नामित नही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नामित करते हुये sbmup2014@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे। श्री रिग्ज्यान सेम्फिल द्वारा समीक्षा हेतु प्रत्येक सोमवार 10.00 बजे प्रातः उनके कार्यालय कक्ष में समय व स्थान निधारित किया गया है, जिसमें आपके विभाग से नोडल आफिसर नामित किया जाना है। नामित नोडल आफिसर द्वारा नियमित बैठक में प्रतिभाग कर विभागीय प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
3. निदेशक, पंचायतीराज, विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पंचायती राज विभाग की ओर से श्री एस0 एन0 सिंह उप निदेशक (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित सूचना मा0मुख्यमंत्री कार्यालय एवं शासन को समय समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव